

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

अपील संख्या

13/47/2023

रजि० न०

2023/549

प्रवेश तिथि

15.09.2023

निर्णय दिनांक

12.08.2025

1.पंचायत समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

—निगरानीकार

बनाम

1.मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री परताराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम वीरपुर, ग्राम पंचायत बीघोता, तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

2.ग्राम पंचायत बीघोता, पंचायत समिति राजगढ, जिला अलवर राजस्थान जरिये सचिव/सरपंच।

—गैरनिगरानीकार



निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 बरखिलाफ आज्ञा ग्राम पंचायत बीघोता, दिनांक 06.12.2021, जिसके द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 1 को गैरकानूनी रूप से पट्टा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत चारागाह भूमि बाबत जारी किया एवं प्रस्ताव दिनांक 06.12.2021 का गलत प्रकार से व पंचायत अधिनियमो के खिलाफ दिया गया है, प्रस्ताव एवं बुक/पट्टा नम्बर 74/36 दिनांक 06.12.2021 को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

01. श्री के.के. मीणा

— वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बीघोता दिनांक 06.12.2021 बुक संख्या 74 पट्टा संख्या 36 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 06.12.2021 को गैर निगरानीकार संख्या 2 ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में एक पट्टा आराजी खसरा नम्बर 21 वाके ग्राम वीरपुर में चारागाह भूमि पर दिनांक 06.12.2021 को उसके हक में भूमि का पट्टा दिये जाने बाबत आदेश पारित किया एवं इस बाबत प्रस्ताव भी गलत प्रकार से ग्राम पंचायत के प्रावधानो के विपरीत जाकर ग्राम पंचायत के सिद्धांतो व नियमो का उल्लंघन किया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह सरकारी भूमि पर है तथा चारागाह भूमि पर आता है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है तथा बुक/पट्टा संख्या 74/36 में गलत प्रकार से हद्द अर्बा व पैमाईश तरफ पूर्व को 36 फुट 13 फुट व स्वयं की खाली जगह, तरफ पश्चिम को 48 फुट 13 फुट व सीसी रोड, तरफ उत्तर को 15 फुट 5 इंच + 22 फुट व सी सी रोड, तरफ दक्षिण को 15 फुट 5 इंच + 22 फुट व स्वयं की टीन व खाली जगह स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 145.66 वर्गगज दर्ज करते हुयेखसरा नम्बर 21 चारागाह भूमि पर पट्टा जारी किया। जो कि गलत प्रकार से नियमो के विपरीत पट्टा व प्रस्ताव लिया गया तथा इस बाबत शुल्क के तौर पर गैरनिगरानीकार संख्या 1 से कुल 500 रुपये वसूल किये गये। तथा उक्त राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई। उपरोक्त वर्णित पट्टा जारी करते समय गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने ना केवल पंचायत अधिनियम के अहम प्रावधान की अनदेखी की है बल्कि विधि के सामान्य सिद्धांतो की भी पालना नहीं की है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने पट्टे जारी किये। वहां किसी प्रकार की उजदारी, नोटिस, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, व पंचायत के फैसले की रिपोर्ट नहीं पाई गई। जबकि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने खसरा नम्बर 21 वाके ग्राम वीरपुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

पंचायत समिति राजगढ जो कि चारागाह भूमि है जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को कतई नहीं था। ग्राम पंचायत को पंचायत अधिनियम में आबादी भूमि में ही पट्टा जारी किया जाना चाहिये था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा गलत प्रकार से चारागाह जमीन पर गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टे जारी कर दिये। जैसा कि वर्तमान जमाबंदी रिकार्ड में जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है वह चारागाह भूमि रिकार्ड में दर्ज हैं। ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि पर कोई पट्टा दिया जाता है या प्रस्ताव लिया जाता है तो उसके लिये प्रस्ताव लेकर भूमि की किस्म चेन्ज करने के लिये जिलाधीश महोदय के लिये भेजा जाता है तथा जिलाधीश महोदय की अनुमति ली जाती है लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसा नहीं करते हुये ग्राम पंचायत के अधिनियमों के खिलाफ जाकर उक्त पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया। जो पट्टा व प्रस्ताव निरस्त होने योग्य है।


पंचायत समिति राजगढ विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बीघोता की जांच करवाने बाबत यह पाया गया कि यह पट्टा चारागाह जमीन पर जारी किये गये हैं जो ग्राम पंचायत के अधिनियमों के खिलाफ है। उक्त पट्टा व प्रस्ताव गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी होने की जानकारी जांच रिपोर्ट के अनुसार हुई है जिस कारण यह निगरानी याचिका बिना देरी के पेश है। उक्त जांच में भारी अनियमिततायें जांच अधिकारी द्वारा पाई गई। इसलिये उपरोक्त वर्णित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (1) में निगरानी बाबत कोई मियाद का प्रावधान नहीं है, ना ही कोई नियाद प्रावधित हैं। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बुक/पट्टा संख्या 74/36 दिनांक 06.12.2021 तथा प्रस्ताव दिनांक 06.12.2021 को अवैध करार दिया जाकर निरस्त किये जाने की बाबत आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। अनिगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो निम्न प्रकार है कि उक्त निगरानी याचिका ग्राम पंचायत बीघोता पंचायत समिति राजगढ के निर्णय दिनांक 06.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायत बीघोता ने पंचायत अधिनियम के खिलाफ बुक /पट्टा संख्या 74/36 दिनांक 06.12.2021 गलत प्रकार से जारी किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.12.2021 को गैरनिगरानीकार संख्या 02 ने गैरनिगरानीकार संख्या 01 के हक में पट्टा आराजी खसरा नंबर 21 वाके ग्राम बीघोता में चारागाह पर दिनांक 06.12.2021 को भूमि का पट्टा जारी किये जाने बाबत आदेश पारित किया एवं इस बाबत प्रस्ताव भी गलत प्रकार से ग्राम पंचायत अधिनियमों के प्रावधान के विपरीत जाकर तथा ग्राम पंचायत के सिद्धान्तों व नियमों का उल्लंघन करते हुये पारित किया गया है। गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह चारागाह भूमि पर है, तथा गैरमुमकिन चारागाह जमीन पर आता है, जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है, तथा बुक/पट्टा संख्या 74/36 में गलत प्रकार से हद्दअर्बा व पैमायश दर्ज करते हुये चारागाह भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। जो कि गलत प्रकार से तथा नियमों के विपरीत पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव लिया गया है, तथा इस बाबत शुल्क के तौर पर गैरनिगरानीकार संख्या 02 से कुल 500/- रुपये वसूल किये गये हैं, तथा उक्त राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई है। उक्त पट्टा जारी करते समय गैरनिगरानीकार संख्या 02 ने ना केवल पंचायत अधिनियमों के अहम प्रावधानों की अनदेखी की है, बल्कि विधि के सामान्य सुस्थापित सिद्धान्तों की भी अनदेखी की गई है। जहां गैरनिगरानीकार संख्या 02 द्वारा पट्टे जारी किये गये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

हैं, वहां किसी प्रकार की उजदारी, नोटिस, मौका निरीक्षण रिपोर्ट व पंचायत के फैसले की रिपोर्ट नहीं पाई गई है। जबकि गैरनिगरानीकार संख्या 02 ने खसरा नंबर 1200 ग्राम बीघोता पंचायत समिति राजगढ जो कि चारागाह भूमि है, जिसका पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार ग्राम पंचायत को कतई नहीं है। ग्राम पंचायत को पंचायत अधिनियम में आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा गलत प्रकार से गैरमुमकिन चारागाह भूमि पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत बीघोता द्वारा गैरमुमकिन राडा, चारागाह पर कोई पट्टा जारी किया जाता है तो उसके लिये सुझाव लेकर भूमि की किस्म परिवर्तित करने के लिये जिलाधीश महोदय को भेजा जाता है, तथा जिलाधीश महोदय की अनुमति ली जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा ना करते हुये पंचायत अधिनियम के विरुद्ध जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो पट्टा व प्रस्ताव निरस्त होने योग्य है। पंचायत समिति राजगढ, विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बीघोता की जांच में यह पाया गया कि यह पट्टा चारागाह जमीन पर जारी किया गया है, जो पंचायत अधिनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में भी यह माना है कि पट्टे गलत जारी हुये हैं। इसलिये निरस्त किये जावे, जिसका प्रस्ताव भी पंचायत समिति द्वारा लिया गया है, तथा अपनी जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि यह पट्टा प्रशासन गांव के संग अभियान में कुछ लोगों ने आबादी भूमि से लगती हुई सीमा के मकानों में पट्टों की फाईल लगाई थी, जिन पर पटवारी हल्का ने गलत सीमाज्ञान की जानकारी देने के कारण आवेदन लगाये गये थे, जिनके पट्टे प्रशासन गांव के संग अभियान में गलत जारी हो गये हैं, क्योंकि जांच में पाया गया कि उक्त पट्टे आबादी भूमि से लगती हुई सीमा गैरमुमकिन राडा, चारागाह एवं स्वयं की खातेदारी की भूमि में स्थित पाये गये हैं। जिसमें पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाकर पट्टे निरस्त करवाने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त पट्टा/प्रस्ताव गलत व पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निगरानी हाजा स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 74/36 दिनांक 06.12.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बीघोता, पंचायत समिति राजगढ, जिला अलवर द्वारा जारी पट्टा संख्या 74/36 दिनांक 06.12.2021 के विरुद्ध दायर किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उक्त पट्टा खसरा संख्या 1200, जो कि गैरमुमकिन राडा सिवायचक भूमि है, पर ग्राम पंचायत के विधिक अधिकार व क्षेत्राधिकार के विपरीत जारी किया गया है। पट्टा खसरा संख्या 1200 पर जारी किया गया, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन राडा सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, न कि सिवायचक/गैरमुमकिन भूमि पर। ऐसी भूमि के मामले में जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई। प्रस्ताव, सीमाज्ञान, मौका निरीक्षण, उजदारी नोटिस आदि की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पारदर्शिता व न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। गैरनिगरानीकार संख्या 2 (तत्कालीन सरपंच/सचिव) द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्रस्ताव पास कर गलत पट्टा जारी किया गया, जिससे पंचायती राज अधिनियम, नियमों एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान की गाइडलाइनों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान की विभागीय जांच रिपोर्ट एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर की रिपोर्ट के अनुसार अनियमितताएं प्रमाणित पाई गई हैं, तथा विकास अधिकारी द्वारा उक्त पट्टों को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा न केवल विधिक क्षेत्राधिकार से बाहर था, बल्कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

व पारदर्शिता की कमी के कारण न्यायिक दृष्टिकोण से भी असंगत व अवैध है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत बीघोता द्वारा बुक 74 पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.12.2021 को अवैध घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। उक्त अनियमित पट्टा व प्रस्ताव के विरुद्ध गैरनिगरानीकार संख्या 2 (तत्कालीन सरपंच/सचिव) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, जिसकी प्रगति रिपोर्ट संबंधित विकास अधिकारी व जिला परिषद प्रस्तुत करें। उक्त भूमि को पुनः ग्राम पंचायत रिकार्ड में सिवायचक भूमि के रूप में बहाल कर यथास्थिति बनाए रखी जाए। उक्त भूमि पर यथास्थिति में कोई निर्माण या कब्जा पाया जाए, तो प्रशासन द्वारा विधिसम्मत निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

